

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास डॉ०अमित यादव आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या -315/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर -2022/411

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोंडेन्ट्स
1. इस्लामुदीन पुत्र खुदाबक्ष जाति तेली मुसलमान		1. तहसीलदार नागौर।
2. शौकत अली पुत्र खुदाबक्ष जाति तेली मुसलमान		2. पटवारी हल्का, नागौर
3. मो. सलीम पुत्र खुदाबक्ष जाति तेली मुसलमान		
4. जाकिर हुसैन पुत्र खुदाबक्ष जाति तेली मुसलमान		
5. शाकिर हुसैन पुत्र खुदाबक्ष जाति तेली मुसलमान निवासीगण अजमेरी गेट के बाहर, वन विभाग के पास, नागौर		

उपस्थिति:-

1. अपीलान्त की ओर से वकील श्री श्याम कुमार व्यास एवं श्री ओम प्रकाश गौड़
2. रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

:: निर्णय ::

दिनांक :-13.09.2023

अपीलान्त द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 130/2022 सरकार बनाम इस्लामुदीन में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2022 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ मयाद प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अपीलान्त की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्त ने बहस में कथन किया कि अपीलान्त द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील बहुत ही ठोस बिनाय पर आधारित होने से अपीलान्त को उसमें कामयाबी मिलने का पूरा विश्वास है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.06.2022 को अपीलान्त ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जबाब पेश किया। इसके बाद आगामी तारीख पेशियों पर पीओ साहब राजकार्य में व्यस्त रहे। अधीनस्थ न्यायालय के रीडर ने अपीलान्त अधिवक्ता को बताया गया कि अग्रिम कार्यवाही बाबत आपको सूचना दे दी जायेगी, तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त व अपीलान्त के अधिवक्ता को सूचना दिये बिना ही दिनांक 10.08.2022 को बिना अपीलान्त अधिवक्ता की बहस सुने, अपीलान्त व अपीलान्त अधिवक्ता की अनुपस्थिति में आदेश जैर अपील पारित कर दिया। इस कारण अपीलान्त को आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। अभी दिनांक 31.08.2022 को जब अपीलान्त अधिवक्ता प्रकरण की तारीख पेशी पता करने गये, तब अपीलान्त व अपीलान्त अधिवक्ता को आदेश जैर अपील की जानकारी हुई। तब उसी दिन नकल आवेदन कर, आदेश जैर अपील की नकले दिनांक 01.09.2022 को प्राप्त की। न्याय हित में अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाना उचित व न्याय संगत होने का कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाने का निवेदन किया है। राजपैरोकार ने अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील एवं मयाद प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है। अपीलान्त द्वारा मयाद प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलान्त द्वारा



2
कलक्टर नागौर Page 1 of 3

मयाद प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का नागौर द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि इस्लामुदीन, शौकत अली, मो. अली, जाकिर हुसैन, शाकिर हुसैन मो. सलीम पुत्रगण खुदाबक्ष जाति तेली निवासी नागौर तहसील व जिला नागौर ने मौजा नागौर के खसरा नं.592/906 रकबा 9300 वर्गफीट किस्म गै.मु. अंगोर भूमि पर संवत् 2079 पक्का मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामिल सुदा शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण मय वकील उपस्थित होकर जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.2022 को अपीलान्ट के विरुद्ध बेदखली व जुर्माने का आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जिस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दौराने कार्यवाही हल्का पटवारी के एवं अपीलांट के बयान दर्ज नहीं करवाये तथा अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु एक भी अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जो सम्पूर्ण कार्यवाही विधिक प्राक्धानों के विपरीत व नैसर्गिक न्याय के सामान्य सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरुद्ध संवत् 2079 में नागौर के खसरा नं. 592/906 के रकबा 9300 वर्गफुट पर अतिचार की मिथ्या रिपोर्ट पेश करके गलत नोटिस प्रेषित करवाया है। जबकि अपीलान्ट नागौर का स्थाई निवासी है जिसका कब्जा सुदा व अधिभोग की भूमि मय मकान, चारदीवारी खुली के रूप में आवासीय मकान कदीमी समय से रहता चला आया है। जिसमें कमरा, बरामदा, रसोई, लेटबाथ बने हुए है एवं जिसमें अपीलान्ट के नाम से विद्युत कनेक्शन व पानी कनेक्शन भी लिया हुआ है। उक्त जायगा वन विभाग के पास नागौर में स्थित है एवं जिसका क्षेत्रफल 9300 वर्गफुट है। उक्त मकान अपीलान्ट के कब्जा सुदा जायगा रही है। उक्त जायगा के लिए नगर परिषद नागौर में नियमन पट्टा बनाने हेतु अपीलान्ट शौकत ने आवेदन कर रखा है। जिसके पत्रावली संख्या-54/2021-22 है। इसलिए उक्त जायगा अपीलान्ट के खरीदसुदा, कब्जा सुदा रही है व है। जिसका निरंतर उपयोग उपभोग अपीलान्ट व उसके परिवार द्वारा किया जा रहा है। इस कारण हाल ही में कृषि वर्ष संवत् 2079 में अतिचार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच किए जो निर्णय जैर अपील पारित किया है वह काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये नोटिस की जायगा नगरपरिषद, नागौर के क्षेत्र की आबादी की भूमि है। उक्त जायगा नगरपरिषद की सीमा क्षेत्र में आई हुई है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को इस भूमि बाबत 91 आर.एल.आर.एक्ट की कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय जैर अपील पारित किया है वह काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट व उसके परिवार की कब्जा सुदा, उपयोग उपभोग निवास के प्रयोजनार्थ एकमात्र जायगा है, उक्त जायगा के अलावा अपीलान्ट के पास अन्य कोई जायगा नहीं है। उक्त जायगा से अपीलान्ट को गैर कानूनी रूप से बेदखल किया जाता है तो अपीलान्ट व उसके परिवार के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा तथा अपीलान्ट को अपूर्णाय क्षति होगी।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गैरसायल मो. अली पुत्र खुदाबक्ष तहसील में धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व ही फौत हो चुका था, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति को पक्षकार बनाते हुए आदेश जैर अपील पारित कर दिया, जबकि विधि अनुसार मृत व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित नहीं किया जा सकता, का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नागौर द्वारा प्रकरण सं. 130/2022 में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2022 को निरस्त करने का निवेदन किया है।

राजपेरोकार ने बहस में यह कथन किया कि प्रश्नगत भूमि कि किस्म गै0मु0 अंगोर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा गै0मु0 अंगोर की भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का इस भूमि पर अतिक्रमण मानते हुवे बेदखल व जुर्माना का जो आदेश पारित किया है, वह आदेश विधिवत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।



राजपेरोकार ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर डी.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजराज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की प्रति पेश कर अंगोर भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि पटवारी हल्का, नागौर द्वारा गैर सायल के विरुद्ध मौजा नागौर के खसरा नम्बर 592/906 रकबा 9300 वर्गफीट किस्म भूमि गै0मु0 अंगोर भूमि पर जरिरे पक्का मकान व बाड़ा बनाकर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट तहसीलदार, नागौर को पेश की है। तहसीलदार, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 130/2022 दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये दिनांक 10.08.2022 को निर्णय पारित किया है। अपीलांत का यह कहना कि उन्हें सुनवाई एवं सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है, पत्रावली के अवलोकन से यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट है कि अपीलांत को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद खसरा नम्बर 592/906 की भूमि पर किये गये अतिक्रमण की भूमि अपीलांत के स्वामित्व की भूमि होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट साबित होता है कि गैर सायल द्वारा गै0मु0 अंगोर की भूमि पर पक्का मकान व बाड़ा बनाकर नाजायज अतिक्रमण किया गया है तथा जिसके विरुद्ध तहसीलदार, नागौर द्वारा की गई यह कार्यवाही विधिवत है एवं तहसीलदार, नागौर के निर्णय दिनांक 10.08.2022 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील की पुष्टि की जाती है। तहसीलदार, नागौर को आदेशित किया जाता है कि अपने आदेश की पालना करते समय अपील में दर्ज तथ्यों अनुसार मो. अली पुत्र खुदाबक्ष फौत हो चुका है, इसलिए इजराय के समय उनके वारिसान को सुना जावे। अधीनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुये निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



2
(डॉ० अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर